

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/23-24/01

दिनांक: 10.05.2023

सेवा में,

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय

बी-33, पावरग्रिड, चकरपुर

कानपुर कालोनी (उ०प्र०)

पिन -209305

मो० 9691 209 416

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 30.03.2023 के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 30.03.2023 क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 13.04.2023 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
अकमोडेशन एलॉटमेंट पालिसी के अनुसार 400 के०वी० पावरग्रिड चकरपुर, कानपूर कॉलोनी में ग्रेड W-0 से ग्रेड W-6 तक किस टाइप का क्वार्टर आवंटित किया जा सकता है।	अकमोडेशन एलॉटमेंट पालिसी कर्मचारियों के लिए पावरग्रिड की वेबसाइट www.powergrid.in पर Intranet portal के कर्मचारी लॉग-इन में उपलब्ध है - Internet Portal-> HR Corner-> HR Policy-> Accommodation Related -> Allotment of Residential Accommodation

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री नवीन श्रीवास्तव

कार्यपालक निदेशक,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लॉट नं० 2ए/आई एन एस-2,

अवध विहार योजना, अमर शहीद पथ

लखनऊ (उ०प्र०)-226002

सम्पर्क सं० -0522-2205100

भवदीय,

10/05/2023

[उदयवीर]

महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)

पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,

पावरग्रिड, लखनऊ